



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15052025-263121
CG-DL-E-15052025-263121

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2119]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 15, 2025/वैशाख 25, 1947

No. 2119]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 15, 2025/VAISAKHA 25, 1947

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 15 मई, 2025

का.आ. 2168(अ).—ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, चेन्नई के अध्यक्ष को ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, चेन्नई का अध्यक्ष बने रहने के अतिरिक्त 'अशोक कुमार बनाम केनरा बैंक और अन्य [अपील अपील सं. 297/2018, एस.ए. सं. 387/2010 से उत्पन्न (डीआरटी-III, दिल्ली) और इससे संबंधित कार्यवाहियों]' की अपील के मामले में निर्णय देने के लिए ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, दिल्ली के अध्यक्ष का कार्य करने हेतु प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. 09/22/2023-डीआरटी]

एस डी शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

ORDER

New Delhi, the 15th May, 2025

S.O. 2168(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 8 of the Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government hereby authorises the Chairperson of the Debts Recovery Appellate Tribunal, Chennai to discharge also the functions of the Chairperson of the Debts Recovery Appellate Tribunal, Delhi for deciding the appeal in the matter of ‘Ashok Kumar vs Canara Bank and Anr. [Appeal No. 297 of 2018 arising out of S.A. No. 387 of 2010 (DRT-III, Delhi) and its connected proceedings]’, in addition to his being the Chairperson of the Debts Recovery Appellate Tribunal, Chennai.

[F. No. 09/22/2023-DRT]
S D SHARMA, Under Secy.